नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक......196160

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 637 दिनांक 11/6/19

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या MBD-220 पत्रावली संख्या MBD-20358 दिनांक 07/06/2019

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शिव बिरलिएन्ट एजूकेशनल सोसाइटी मौ0 सुबोध नगर, अमरोहा। ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1908/2008-09 दिनांक 26/03/2009 को दिनांक 26/03/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1200/- रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 07/06/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश
07/06/19

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07AE 873343

नत्थी स्टाम्प पेपर ~~संख्या~~ शिव ब्रिलिएन्ट एजुकेशनल ~~सोसाइटी~~ सोसाइटी अमरोहा ~~की~~ की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019-2020
~~के स्मृति-पत्र/नियमावली~~ की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
04/12/19

दि विरलिएन्ट एजूकेशनल सोसाइटी मौ0 सुबोध नगर अमरोहा की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष :—2019—2020

क0 सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुन्दनलाल शर्मा	राजकीय इ0का0 अमरोहा	संरक्षक	प्रवक्ता
2.	रविकान्त शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा	मौ0 सुबोधनगर अमरोहा	अध्यक्ष / डायरेक्टर	कृषि
3.	राम अवतार शर्मा पुत्र श्री चोखेलाल शर्मा	ग्राम चन्द्रवार पो0 ओवरी तह0 व जिला सम्भल	उपाध्यक्ष	नौकरी
4.	श्रीमती चित्रा शर्मा पत्नी श्री रविकान्त शर्मा	मौ0 सुबोध नगर अमरोहा	प्रबन्धक	गृहणी
5.	भूदेव शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल शर्मा	ग्राम लोदीपुर व मझरा पो0 वासीपुर धनौरा, अमरोहा	उपप्रबन्धक	नौकरी
6.	हर्षिता शर्मा पुत्री श्री रविकांत शर्मा	सुबोध नगर कॉलोनी, अमरोहा	सचिव	छात्रा
7.	विरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भरताराम शर्मा	ग्राम [illegible] इम्मा पो0 म[illegible] तह0 व जिला सम्भल	कोषाध्यक्ष	नौकरी
8.	शशिकान्त शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा	ग्राम चन्दवार पो0 ओवरी तह0 व जिला सम्भल	उपसचिव	छात्र
9	गौतम कुमार शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	ग्राम सैदपुर इम्मा पो0 मन[illegible]ा तह0 व जिला सम्भल	सदस्य	कृषि
10	हेमराज शर्मा पुत्र श्री मानचन्द शर्मा	ग्राम नया गाँव पो0 नौगांवा अमरोहा	सदस्य	नौकरी
11	मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा	ग्राम मूंडा इम्मा पो0 पलोला जिला अमरोहा	सदस्य	नौकरी
12	ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री नन्हू सिंह	मौ0 हमीदपुरा अमरोहा	सदस्य	कृषि
13	राम अवतार शर्मा पुत्र श्री जुगल किशौर शर्मा	मौ0 सुबोध नगर अमरोहा	सदस्य	पेशनर

Ravi Kant Sharma
चित्रा कुमारी
राम अवतार शर्मा
वीरेन्द्र कुमार शर्मा
भूदेव शर्मा

गौतम कुमार शर्मा
हर्षिता शर्मा
राम अवतार शर्मा

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0, मुरादाबाद
06/12/18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AC 036067

यह अनारक्षित स्टाम्प पेपर संस्था शिव बिर्पलैरन्ट एजूकेशनल सोसाइटी मुरादाबाद को सं०शा०
के स्मृति पत्र/नियमावली की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद
15/3/2005

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : शिव विरलिएन्ट एजूकेशनल सोसाइटी।
2. संस्था का पता : मौ0 सुबोधनगर, अमरोहा जिला अमरोहा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था के उददेश्य : स्मृति पत्र के अनुसार–
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग :–

आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 500/– रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 200/– रू0 या इतने मूल्य की सम्पत्ति दान मे देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को 150/– रू0 प्रति बर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति :–

1– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ।
2– सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
4– लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहने पर।
5– न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7–संस्था के अंग :–

अ– साधारण सभा ।
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

8– साधारण सभा –

1–गठन – साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।
2– बैठक– साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति बर्ष मे तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
3– सूचनावधि– साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा बिशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।
4– गणपूर्ति – साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

5– साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार –
1–वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
2–वार्षिक बजट पास करना।
3–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

9–प्रबन्धकारिणी समिति –

1–गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यो द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या कम से कम 11 व अधिक से अधिक 31 तक की जा सकती है।
2–बैठके – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक प्रति माह तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।
3–सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
4– कोरम – कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा।
5– रिक्त स्थान की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति मे यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यो द्वारा की जायेगी ।
6– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य :–
1– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
2– वार्षिक बजट तैयार करना।
3– बार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
4– संस्था हेतु दान–अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से पांच बर्ष के लिए होगा।

10 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार तथा कर्तव्य :–

संरक्षक :– संस्था की संरक्षकता करना तथा समय समय पर संस्था के कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।

अध्यक्ष / डायरेक्टर :–
1– समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।
2– बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3– समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4– पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
5–प्रबन्धक के साथ मिलकर संस्था के कार्यो मे सहयो

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

प्रदान करना तथा संस्था के विकास करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष / डयरेक्टर की अनपुस्थिति मे अध्यक्ष / डयरेक्टर द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो को करना।

प्रबन्धक :–
1– किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
2– संस्था के अभिलेखो पर हस्ताक्षर करना।
3– संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4– संस्था का पत्र व्यवहार करना।
5– संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।
6– संस्था के विकास हेतु बैंकों मे ऋण प्राप्त कर संस्था के कार्यो मे खर्च करना।

उपप्रबन्धक :– प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे प्रबन्धक द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो को करना।

कोषाध्यक्ष :–
1– आय–व्यय का लेखा जोखा करना।
2– संस्था के समस्त बिल बाउचरो का भुगतान करना।
3– संस्था के कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।

सचिव :– प्रबन्धक के साथ संस्था के विकास कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति मे सचिव द्वारा सौपे गये कार्यो को करना।

11– नियमो मे परिवर्तन– संस्था के नियमो मे परिवर्तन सोसायटी रजि0 एक्ट 1860 अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 सदस्यो द्वारा किया जायेगा।

12–संस्था का कोष :– संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर मे संस्था के नाम से खाता खोलकर धन जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबन्धक, अध्यक्ष / डायरेक्टर व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरो से संचालन किया जायेगा।

13–लेखा परीक्षण :– संस्था के आय – व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडिटर से प्रति बर्ष कराया जायेगा।

14– अदालती कार्यवाही : संस्था के समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन उत्तरादायित्व संस्था के सचिव का होगा।

15– अभिलेख :–
1– सदस्यता रजिस्टर।
2– कार्यवाही रजिस्टर।
3– एजेंडा रजिस्टर।
4– कैश बुक आदि।

16– विघटन :– संस्था के विघटन एवं विधिटत सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

अन्य नियम :– क. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख. विद्यालय के प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें और उनमे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

घ. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

ड.संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतन तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

न– कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमान्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओ मे रखा जायेगा।

प्रतिबन्ध क से ज तक बिना शासनादेश के पुर्वानुमोदन के परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

दिनांकः– 5.3.14

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
5/3/2014

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : शिव विरलिएन्ट एजूकेशनल सोसायटी
2. संस्था का पता : मौ० सुबोधनगर अमरोहा (ज्यो०फू०नगर)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उददेश्य : संस्था के उददेश्य निम्नलिखित होगें

1. छात्र एवं छात्राओं के लिए शिक्षा हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।
2. समाज के पिछड़े हुए उपेक्षित सभी वर्गो को प्रोत्साहन देना।
3. छात्र / छात्राओं के लिए पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार युवक / युवतियों व छात्र / छात्राओं के विकास हेतु कम्प्यूटर एवं टाईप प्रशिक्षिण केन्द्र स्थापित कर निशुल्क प्रशिक्षिण प्रदान करना।
4. गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करने मे सहयोग प्रदान करना तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री निशुल्क उपलब्ध करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा व चरित्र के विकास के लिए मानवीय गुणों की उन्नयन के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना।
6. महिलाओं को हस्तकला जैसे — सिलाई, कढाई, बुनाई, दरी व कालीन बुनाई, पोन्टिंग आदि प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान करना।
7. शारीरिक मानसिक एवं विकलांगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
8. सभी प्रकार के विकलांगों व अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछडे वर्ग के कल्याण हेतु निशुल्क शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उनके सर्वागीण विकास हेतु छात्रावासों की स्थापना कर निशुल्क छात्रावास सुविधा प्रदान कर उनको पुनावासित करना।
9. सामूहिक कार्यो द्वारा सहयोग भावनाओं का विकास करना। समाज कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देकर, गांधीवादी दृष्टिकोण का प्रचार व प्रसार करना।
10. बढ़ती हुई विक्षावृत्ति को रोकना तथा देश में बढ़ती हुयी बेरोजगारी दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों एवं ग्रामोद्योग और आर्कषित करना।
11. विभिन्न प्रकार के खादी ग्रामो उद्योगों गांधी जी के विचारो पर कार्य करना एवं कलात्मक कार्यो के विकास हेतु प्रशिक्षण शिविरों एंव केन्द्रों की स्थापना करना।
12. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्गनाइजेशन के साथ मिलकर समाज व राष्ट्र के हित में कार्य करना।
13. पिछडे तथा दलितो के उत्थान का प्रयास करना। तथा निम्न शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के लिए महाविद्यालयों की स्थापना करना आदि।
14. संस्था के उददेश्या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत होंगे।